



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-12082026-275390
CG-BR-E-12082026-275390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4279]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4279]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

रेल मंत्रालय
(पूर्व मध्य रेल)
अधिसूचना

पटना, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4457(अ).— रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खण्ड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्धारित अधिनियम के तहत विशेष रेलवे परियोजना (जिसमें बिहार और झारखंड राज्यों के जिलों में "परैया (किमी 0.00) और चतरा (किमी 75.100) के साथ-साथ कष्टा (4.950 किमी) पर Y कनेक्शन" शामिल है) के कार्य के लिए सक्षम पदाधिकारी के रूप में एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है, जो भारत के राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

क्रम संख्या	जिला	सक्षम अधिकारी का नाम भूमि अधिग्रहण हेतु
1.	गया	जिलाभू-अर्जन पदाधिकारी / गया (बिहार)
2.	चतरा	जिलाभू-अर्जन पदाधिकारी / चतरा (झारखंड)

[फा.सं. ECR/CAO/Con/S/Paraiya-Chatra]

राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Patna, the 4th August, 2026

S.O. 4457(E).— In Exercise of power conferred under clause 7A of section 2 of the railways (amendment) Act, 2008, The following District Land Acquisition Officers is hereby authorized as Competent Authority to perform the function of such authority under the said Act in the area of Special Railway Project “Paraiya (Km 0.00) and Chartra (Km 75.100) along with Y connection at Kastha (4.950 Km)” in these following district of Bihar & Jharkhand State with effect from the publication of this notification in the Gazette of India as under:-

Sl. No.	District	Name of Competent Authority for Land Acquisition (CALA)
1	Gaya	District Land Acquisition Officer, Gaya (Bihar)
2	Chatra	District Land Acquisition Officer, Chatra(Jharkhand)

[F. No. ECR/CAO/Con/S/Paraiya-Chatra]

RAJIV GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)